



कार्यालय नगर पालिक निगम रायगढ़

जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

E-mail :corporationraigarh@gmail.com

Phone No:- 07762-222911




क्रमांक <sup>4030</sup> / वा. वि. / न.पा.नि. / 2025 रायगढ़, दिनांक 24/03/2025

:- सीमित निविदा आमंत्रण सूचना :-

नगर पालिक निगम, रायगढ़ कार्यालय में CCTV कैमरा संबंधित सामग्री प्रदाय कार्य, कार्य की अनुमानित लागत राशि 02.99/- लाख रु., अमानत राशि 3000.00/- रु., निविदा प्रपत्र शुल्क 300.00/- रु., पंजीकृत ठेकेदार/प्रदायकर्ता/अधिकृत विक्रेता नगर पालिक निगम, रायगढ़ की वेबसाईट [www.nagarnigamraigarh.com](http://www.nagarnigamraigarh.com) से निविदा प्रपत्र "स" डाउनलोड कर पूर्ण रूप से भर कर निविदा प्रपत्र के साथ निर्धारित प्रपत्र शुल्क डी.डी. के माध्यम से दिनांक 24/03/2025 अपराह्न 04:00 बजे तक स्पीडपोस्ट/पंजीकृत डाक से मुहर बंद निविदाएं त्रि-लिफाफा पद्धति से आमंत्रित की जाती हैं। प्राप्त निविदाएं उसी दिन अपराह्न को रायं 04:30 बजे उपस्थित निविदाकारों अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधी के समक्ष खोली जावेगी।

नोट :- \*कार्य की सूची व नियम एवं शर्तें संलग्न कर वेबसाईट [www.nagarnigamraigarh.com](http://www.nagarnigamraigarh.com) पर अपलोड है।


\*कार्य का अन्य विवरण एवं नियम शर्तें कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

  
कार्यपालन अभियंता  
नगर पालिक निगम  
रायगढ़ (छ.ग.)

पृ. क्र. <sup>4030</sup> / वा. वि. / न.पा.नि. / 2025  
प्रतिलिपि :-

रायगढ़, दिनांक 24/03/21


1. मान. महापौर/सभापति/प्रभारी वाहन सदस्य (MIC), नगर पालिक निगम, रायगढ़ को सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, रायगढ़ को सादर सूचनार्थ।
3. आवक शाखा, नगर पालिक निगम रायगढ़ को सूचनार्थ।
4. कार्यालय नगर पालिक निगम रायगढ़ के नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।

  
कार्यपालन अभियंता  
नगर पालिक निगम  
रायगढ़ (छ.ग.)



-: सी.सी.टी.व्ही. कैमरा संबंधित सामग्री प्रदाय कार्य के नियम एवं शर्तें :-

1. निविदा प्रपत्र नगर निगम रायगढ़ की वेबसाईट [www.nagarnigamraigarh.com](http://www.nagarnigamraigarh.com) से निविदा प्रपत्र फॉर्म C को डाउनलोड कर निर्धारित मूल्य का डिमांड ड्रॉफ्ट जो आयुक्त नगर पालिक निगम रायगढ़ के नाम से देय हो, संबंधित कार्य का नाम, पूर्ण पता, विवरण सहित भरकर भेजना होगा।
2. निविदा त्रि-लिफाफा पद्धति से मान्य किया जावेगा जो निम्नानुसार है :-
  - (i) प्रथम लिफाफा में पंजीकृत ठेकेदार/प्रदायकर्ता/अधिकृत विक्रेता, पेन नम्बर के प्रति, GST नम्बर तथा अन्य तकनीकी दस्तावेज के साथ निर्धारित अमानत राशि टी.डी.आर./एफ.डी.आर./एस.टी.डी.आर./बैंकर्स चैक तथा निर्धारित प्रपत्र शुल्क डिमांड ड्रॉफ्ट/बैंकर्स चैक के रूप में जो कि आयुक्त, नगर पालिक निगम रायगढ़ के नाम से देय हो। प्रथम लिफाफा सही पाये जाने पर ही द्वितीय लिफाफा खोला जायेगा।
  - (ii) द्वितीय लिफाफे में निर्धारित निविदा प्रपत्र पूर्ण रूप से तथा दर को अंको एवं शब्दों में स्पष्ट रूप से भरकर देना होगा।
  - (iii) तृतीय लिफाफे में प्रथम लिफाफे एवं द्वितीय लिफाफे को रखकर सीलबंद कर (लिफाफे के उपर स्पष्ट रूप से निविदा क्र. लिखा होना चाहिए), स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से निर्धारित समयावधि में भेजना होगा एवं अन्य किसी माध्यम से जैसे व्यक्तिगत या कोरियर आदि से भेजे गये निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। निर्धारित तिथि व समय के पश्चात प्राप्त निविदायें स्वीकार नहीं की जावेगी और न ही खोली जावेगी तथा वापस कर दी जावेगी, डाक विलम्ब के लिए नगर पालिक निगम, रायगढ़ जिम्मेदार नहीं होगा।
3. निर्धारित तिथि पर अवकाश होने पर आगामी दिवस को मान्य किया जावेगा।
4. लिफाफा में स्टेपलर से पिन किया हुआ मान्य नहीं होगा एवं लिफाफा को सेलो टेप से पूर्णता बंद करना होगा तभी मान्य होगा अथवा बंद लिफाफा पूर्ण रूप से चिपकाने अथवा स्टेपलिंग करने के बाद सेलो टेप से चिपकाना अनिवार्य होगा।
5. निविदाकर द्वारा निविदा दर समस्त करों सहित उल्लेखित की जावे। नगर पालिक निगम रायगढ़ द्वारा स्वीकृत निविदा दर के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जावेगा।
6. निर्धारित समयावधि में इकरारनामा नहीं करने पर आयुक्त नगर पालिक निगम रायगढ़ द्वारा निविदा निरस्त किया जा सकेगा एवं अमानत राशि राजसात कर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
7. 01 वर्ष तक के लिए सभी प्रदायित सामग्री का मरम्मत/संधारण प्रदायकर्ता को स्वयं के व्यय से करना होगा।
8. नियम एवं शर्तें अनुबंध का एक भाग होगा। सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
9. किसी भी निविदा को बिना कारण बताए स्वीकृत/अस्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
10. कार्य के संबंध में नगर पालिक निगम अधिनियम/कार्य विभाग मेन्युअल/भण्डार क्रय नियम 2002 (यथा संसोधित 2022) समान रूप से प्रभावशील एवं बंधनकारी रहेंगे।
11. कार्य प्रारंभ नहीं करने या अपूर्ण स्थिति में छोड़ने पर निगम द्वारा निविदाकार को आगामी 06 माह के लिए किसी भी निविदा में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जावेगा।
12. निविदाकार का यह दायित्व है कि वे निविदा भरने के पूर्व, स्थल का स्वयं निरीक्षण कर लें ताकि कार्य प्रारम्भ करने में किसी प्रकार की कठिनाई न होवें।
13. कार्यादेश देने के 07 दिवस भीतर कार्य प्रारंभ करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

  
कार्यपालन अभियंता  
नगर पालिक निगम  
रायगढ़ (छ.ग.)



—: सी.सी.टी.वी. कैमरा संबंधित सामग्री सूची :-

क्र.	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	कुल दर
1	NVR 32 Channel	02	Pcs	
2	IP Camera	30	Pcs	
3	8 TB Harddisk	02	Pcs	
4	POE Switch 08-Channel Gigabit uplink	06	Pcs	
5	16 Port POE	02	Pcs	
6	PVC JC Box	02	Pcs	
7	HDMI Cable	02	Pcs	
8	Rack	02	Pcs	
9	Cat-6 Cable Heavy	04	Box (Per Box 300 mtr)	

कार्यपालन अभियंता  
नगर पालिक निगम  
रायगढ़ (छ.ग.)